


भारत अधिवक्ता - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला मित्तीडगढ
 जमनाथ । वनाम । मौकल नगर
 किरम मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. मुकदमा नम्बर, 26/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल फज 2020/00038	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
02.06.2020	<p>पार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा रकमपुरा पटवार हल्का नपानिया तहसील भदोसर में स्थित खाता संख्या 23 में अंकित आराजी नम्बर 775, 776 , 77 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्टियर स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पक्षी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में मौजा रकमपुरा पटवार हल्का नपानिया तहसील भदोसर में स्थित खाता संख्या 23 में अंकित आराजी नम्बर 775, 776 , 77 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्टियर भूमि की नक्शा बन्दोवस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के जारी सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	

(अंजु शर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी
 भदोसर